


**अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर**

अभिलेख का संख्या- **220/9-2020**

दिनांक	आदेश कायम	अभिमूर्ति
6.3.20	<p>शाह का उच्चार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं जमाबंदी से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/20, दिनांक-13.08.2018 तदनुसार की उपर्युक्त मुखली विदेशक, भू-अर्जन-साह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सं. संख्या-3-साह/म/मिति-119/85/2308/20, दिनांक-03.09.2018 एवं तब-पठित राजस्व विभागीय परिचय संख्या-914/20 दिनांक-09.12.2018 में विहित विदेश के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हत्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनो द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -</p> <p>मौजा- <u>जामकाट</u> धाना नं- <u>213</u> खाता संख्या- <u>20</u> जॉच संख्या- <u>743</u> रकबा- <u>1.0000</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजसूआ खास, अनाबाट बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>58</u> पर जमाबंदी रैयत <u>रूपन हेम्वरग पितालखन हेम्वरग</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हत्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हत्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अथवा बंदोबस्ती के आधार पर/अथवा कौड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अथवा लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपरोक्त निजी स्वाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत स्वामन स्वीद की मांग करे तथा उनको कारण-पुच्छा करे, कि वो नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>20.3.20</u> को उपस्थापित करें।</p>	

  
 अंचल अधिकारी  
 गोविन्दपुर

03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर